

भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5194
उत्तर देने की तारीख 02 अप्रैल, 2025

सभी ब्लॉकों में उच्च गति वाला इंटरनेट संपर्क

5194. डॉ. रिकी ए. जे. सिंगकोण:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए देश के सभी ब्लॉकों में विश्वसनीय तथा उच्च गति वाला इंटरनेट संपर्क प्रदान करने के लिए मंत्रालय की वर्तमान एवं नियोजित पहलों का ब्यौरा क्या है तथा इस कार्य को पूरा करने के लिए अनुमानित समय-सीमा क्या है;
- (ख) इस संपर्क परियोजना के लिए नियोजित चरण कौन-से हैं और प्रत्येक चरण के लिए विशेष-रूप से ग्रामीण और दूरदराज के ब्लॉकों के संबंध में समय-सीमा क्या है;
- (ग) इस राष्ट्रव्यापी संपर्क पहल को लागू करने के लिए अनुमानित बजट कितना है; और
- (घ) मंत्रालय द्वारा निधियों के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए, विशेष-रूप से वंचित क्षेत्रों तक पहुंच हेतु, क्या संभावित उपाय किए जाने हैं?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) से (ख) सरकार देश के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में 4जी मोबाइल टावर लगाकर इंटरनेट आधारित दूरसंचार कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए डिजिटल भारत निधि के तहत 4जी सेचुरेशन परियोजना सहित विभिन्न स्कीमें कार्यान्वित कर रही है जिनका उद्देश्य देश के प्रत्येक गांव में कवरेज उपलब्ध कराना है। इसके अलावा, सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) और मांग के आधार पर गांवों में वाई-फाई हॉटस्पॉट, फाइबर टू द होम (एफटीटीएच) कनेक्शन

आदि जैसी ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए भारतनेट परियोजना को चरणबद्ध रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है। फरवरी, 2025 तक की स्थिति के अनुसार, देश में भारतनेट परियोजना के अंतर्गत 2,14,323 ग्राम पंचायतों को सेवा के लिए तैयार कर दिया गया है।

दिसंबर, 2024 तक की स्थिति के अनुसार, देश के 6,44,131 गांवों (गांवों के आँकड़े भारत के महारजिस्ट्रार के अनुसार) में से, लगभग 6,25,853 गांवों में मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध है जिनमें 4जी मोबाइल कवरेज वाले 6,18,968 गांव शामिल हैं।

(ग) से (घ) इन पहलों के अंतर्गत 2,34,649 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। निधि के कुशल उपयोग और कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

- (i) केंद्रीय नेटवर्क प्रचालन केंद्र (सी-एनओसी) की संस्थापना।
- (ii) परियोजना निगरानी इकाई की संस्थापना।
- (iii) खुदाई करने, फाइबर बिछाने, जोड़ लगाने आदि की वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी।
- (iv) नेटवर्क की जीआईएस मैपिंग।
- (v) प्रयुक्त सामग्री का गुणवत्ता परीक्षण।
- (vi) निरीक्षण, सत्यापन, बिल प्रोसेसिंग आदि के लिए स्वतंत्र इंजीनियरों की नियुक्ति।
